न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/47 दायरा दिनांक : 28.03.2023

उनवान

1– भागचन्द वल्द मांगीलाल, जाति मीना, निवासी फोकरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (मृतक) जरिये कायम मुकाम :–

1/1– कुलदीप वल्द भागचन्द, जाति मीना, निवासी फोकरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

1/2– बरजीबाई पत्नी भागचन्द, जाति मीना, निवासी फोकरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2– औंकार वल्द मांगीलाल, जाति मीना, ग्राम फोकरडा, हाल निवासी पुरानी टंकी के पास अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (मृतक) जरिये कायम मुकाम :–

2/1– गीताबाई बेवा औंकार, जाति मीना,

2/2– रवि पुत्र औंकार, जाति मीना, ग्राम फोकरडा, हाल निवासी पुरानी टंकी के पास अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)

2/3– पूजा बाई पुत्री औंकार, जाति मीना, ग्राम फोकरडा, हाल निवासी पुरानी टंकी के पास अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– गुडकीलाल, उम्र 51 साल वल्द रामनाथ, जाति मीना, निवासी काजलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)

2– कल्याण वल्द नारायण, जाति मीना

3– रामबिलास वल्द नारायण, जाति मीना

4– भूरालाल वल्द नारायण, जाति मीना
अकवाम निवासीगण काजलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)

5– कैला पुत्री नारायण जोजे हीरालाल, जाति मीना, निवासी झामरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)

6– भूलीबाई पुत्री नारायण जोजे धनरूप, जाति मीना, निवासी बरडावदा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)

7– मौसमी बाई पत्नी द्वारकी लाल, जाति मीना, निवासी काजलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)

8– सूरजमल वल्द रामनाथ, जाति मीना, निवासी काजलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)

9– सत्यनारायण वल्द सूरजमल, जाति मीना, निवासी काजलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)

10– शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा, अकलेरा, झालावाड़

11– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संजय कुमार सक्सैना अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

6/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय दिनांक : 06.08.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 3/दावा/21 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 गुडकीलाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम तेलनी पटवार हल्का केवचीखुर्द, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी सं. 9 व पुरानी 8 खसरा नं. 48 रकबा 2.1044 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2022 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स की तामील बिना किसी आधार के केवल मात्र तामील कुनिन्दा की अवैधानिक रिपोर्ट के आधार पर मानकर अपीलांट्स के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट/प्रतिवादी क्रम 6 भागचंद की मृत्यु रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा वाद पेश करने से पूर्व ही अर्थात दिनांक 22.07.2022 को हो चुकी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने भागचंद की तामील के मामले में जो सम्मन जारी किया उस पर तामील कुनिन्दा ने मृत्यु के तथ्य छुपाकर सम्मन बाद तामील भिजवा दिया जो अवैधानिक है एवं भागचन्द की मृत्यु के तथ्य की जानकारी वादी गुडकीलाल को भी दी, इसके बावजूद भी भागचंद के कायम मुकामान कुलदीप पुत्र स्व0 भागचंद, बरजीबाई पत्नी स्व0 भागचंद को पक्षकार न बनाकर मृतक के विरूद्ध ही वाद पेश कर दिया, जो इसी बिन्दू पर खारिज होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट भागचंद मृतक के विरूद्ध पारित की गई डिक्री नल एण्ड वोईड है, प्रभावशून्य है, अतः निरस्त की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी क्रम 7 औंकार के वारिसान गीताबाई, रवि व पूजाबाई के विरूद्ध भी अवैधानिक तामील के आधार पर एक तरफा कार्यवाही कर एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित की है जो अवैधानिक है जिस व्यक्ति ने तामील प्राप्त की उससे औंकार के वारिसान का कोई संबंध नहीं है एवं रवि व पूजाबाई वाद दायर की दिनांक को नाबालिग नहीं थे, यह बालिग थे इस प्रकार फर्जी तामील के आधार पर रेस्पोडेंट नं. 1 गुडकीलाल ने जो डिक्री एवं निर्णय पारित करवाया है, वो काबिल निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट क्रम 1/वादी द्वारा बेनामा दिनांक 24.03.1980 के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। यदि वादी के पास बेयनामा था तो पिछले 40 वर्षों के अंतराज में बेयनामा के आधार पर कार्यवाही क्यों नहीं की, बेयनामा संदेहास्पद है, बेयनामा प्रमाणित नहीं है। कानूनन राजस्व अपील अभिलेख में अंकित किसी भी खातेदार को समुचित अवसर दिये बिना उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जो सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण 6 व 7 के सम्मन तामील पर उचित गौर नहीं फरमाया, तामील सिविल प्र0 सं0 के प्रावधानों के तहत वैधानिक नहीं थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील मानी जाकर एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित करने

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2022 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.02.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित की जो नल एण्ड वोईड है, हम मृतक के वारिसान है। हमें अपना पक्ष रखने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे। अतः अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2023 (2) आर.आर.टी. पेज 1227, 2023 (1) आर.आर.टी. पेज 1 एच.सी. की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड सेल डीड से क्रय की थी। गुडकीलाल का 1/6 हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने 1/6 हिस्सा दिया है इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

अपील मीमों के अनुसार प्रतिवादी क्रम 6 की मृत्यु वाद दायरी से पूर्व होने के बावजूद मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित की गयी तथा प्रतिवादी क्रम 7 के कायम मुकामान की भी विधि सम्मत तामील नहीं करायी गयी।

अपील में सलंग्न प्रतिवादी क्रम 6 (अपीलांट क्रम 1/1 तथा 1/2 के पिता) के मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि भागचन्द आत्मज मांगीलाल की मृत्यु दिनांक 22.07.2020 को हो चुकी थी तथा वाद दायरी की दिनांक 08.01.2021 है इससे स्पष्टतः प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति की विधि विरूद्ध तामील के आधार पर उसका नाम खाते से विलोपित किया गया।

प्रतिवादी क्रम 7 के कायम मुकामान प्रतिवादी क्रम 7/1, 7/2, 7/3 की सम्मन तामील का भी अवलोकन किया गया। प्रतिवादी क्रम 6 (मृतक) की तामील गोलू मीणा (पुत्र)

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लिखकर करायी गयी। गीताबाई पत्नी औंकार, पूजा पुत्री (नाबालिग) की तामील भी गोलू मीणा नामक व्यक्ति को करायी गयी। गोलू मीणा को प्रतिवादी कम 6 का पुत्र तथा गीताबाई का भतीजा अंकित किया गया है जबकि अपील में भागचन्द के कायम मुकाम अनुसार भागचंद (मृतक) के इस नाम का कोई पुत्र नहीं है। अतः प्रतिवादी कम 7 के कायम मुकामान की तामील भी विधिसम्मत नहीं मानी जा सकती।

उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध दिया गया है। प्रतिवादी कम 6 की मृत्यु वाद दायरी से पूर्व होना प्रकट होने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी कम 6 के वारिसान को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। प्रतिवादी कम 7 के कायम मुकामान की भी समुचित तामील नहीं होने से उनका पक्ष भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सी. पी. सी. के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2022 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा